भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1333

दिनांक 19 **सितम्बर**, 2020

गेल का लाभ/हानि

1333. **डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः**

डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

श्री बी॰ मणिक्कम टैगोरः

श्री कुलदीप राय शर्माः

श्री डी॰ एन॰ वी॰ सेंथिलकुमार एस॰:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का भारत के ऊर्जा बास्क्ेट में प्राकृतिक गैस का हिस्सा वर्तमान के 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 15 प्रतिशत किए जाने पर बल देने का विचार है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(ख) गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान अर्जित लाभ/हुई हानि का ब्यौरा क्या है और लाभ बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या गेल (इंडिया) लिमिटेड की पर्यावरण-हितैषी ईंधन के और अधिक इस्तेमाल पर बल देने हेतु नेशनल गैस पाइपलाइन ग्रिड तथा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार करने हेतु अगले पांच वर्षों में बड़े पैमाने पर धनराशि का निवेश करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के विभिन्न भागों, विशेषकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र में गेल द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं तथा उक्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति/प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा वे परियोजनाएं कौन सी हैं जिनकी अभी योजना बनाई जा रही है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

(**श्री धर्मेन्द्र प्रधान**)

(क): प्राकृतिक गैस अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ वैकल्पिक जीवाश्म ईंधन होने के नाते बढ़ रही ऊर्जा मांग को दीर्घकालिक आधार पर पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। देश के बुनियादी ऊर्जा मिश्र में गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाने तथा गैस की अपेक्षित ढांचागत सुविधाओं का विकास करने के उद्देश्य से प्रगामी रूप से कदम उठा रही है। भारत की ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रमुख पहलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

अपस्ट्रीम क्षेत्र: घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए (क) मूल्य निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देश, 2014 जारी करना; (ख) दुर्गम और नए क्षेत्रों से गैस के उत्पादन के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण की आज़ादी; (ग) एचईएलपी नीति; (घ) खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति आदि।

मिडस्ट्रीम क्षेत्र: (क) राष्ट्रीय गैस ग्रिड का काम पूरा करके (ख) नई एलएनजी आयात सुविधाओं की स्थापना करके गैस संबंधी अतिरिक्त ढांचागत क्षमता का विकास करना।

डाउनस्ट्रीम क्षेत्र: (क) पूरे देश में सीजीडी नेटवर्कों का विकास करने - वर्तमान में सीजीडी के विकास के लिए 27 रा यों/संघ शासित प्रदेशों में फैले हुए 407 जिलों को कवर किया गया है (ख) रिफाइनरियों और इस्पात उद्योगों में गैस को बढ़ावा देने (ग) स्वतंत्र गैस बाज़ारों का निर्माण और (घ) किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) के जरिए डाउनस्ट्रीम क्षेत्र का विकास।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान गेल (इंडिया) लि. का करोपरांत लाभ (पीएटी) निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**करोपरांत लाभ (करोड़ रुपए में)**
2017-18	4618.00
2018-19	6026.00
2019-20	6620.00

गेल (इंडिया) लि. गैस क्षेत्र का विकास करने के लिए काम कर रही है क्योंकि उसकी लाभप्रदता परिवहन प्रशुल्क पर भी निर्भर करती है तथा बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ा कर, लागत में कमी करके और दक्षता में सुधार करके उनका विपणन मार्जिन और लाभ बढ़ जाएगा।

(ग): गेल (इंडिया) लिमिटेड अगले पांच वर्षों में अपनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और नगर गैस वितरण नेटवर्कों का विस्तार कर रही है। बुनियादी तौर पर जिन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है उनमें विभिन्न शहरों में 17 प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें और 35 सीजीडी नेटवर्क शामिल हैं।

(घ): गेल (इंडिया) लिमिटेड तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्य की परियोजनाओं सहित अखिल भारतीय स्तर पर 114 परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। सभी 114 परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत लगभग 90,000 करोड़ रुपए है। परियोजनाओं में बुनियादी तौर पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाएं, सीजीडी परियोजनाएं और गेल की अन्य परियोजनाएं तथा इसके संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों की परियोजनाएं शामिल हैं। ब्यौरे गेल (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट https://gailonline.com/BV-NarutalGas.html पर उपलब्ध हैं।

****